दिल्ली विकास प्राधिकरण

चिकित्सा प्रकोष्ठ-II

सं. एफ.1(409)/ 14-15/ एमसी-II/ 1100 दिनांक 18/11/14

एफई परिपत्र सं. 38

वित्त सदस्य किसी पेंशनर द्वारा चिकित्सा कार्ड जारी होने से पहले अंत: रोगी विभाग में इलाज पर किए गए चिकित्सा व्यय संबंधी दावे के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं। इन दावों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीजीएचएस/ सेंट स्टीफन की दरों पर की जाएंगी।

क) दावेदार द्वारा आजीवन चिकित्सा अंशदान जमा कर दिया गया है।

ख) बायोमेट्रिक कार्ड देखा जाएगा। केवल कार्ड जारी हो जाने से ही वह समस्त भावी प्रतिपूर्तियों के लिए पात्र हो जाएगा।

ग) इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि कार्ड जारी होने तक पेंशनर द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु और कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

तथापि पेंशनर को चिकित्सा कार्ड जारी होने तक किसी तरह की ओपीडी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। कैंसर, किडनी फेलयोर आदि जैसी गंभीर बीमारियों को छोड़कर ओपीडी इलाज से संबंधित प्रतिपूर्ति दावे को सिरे से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2. यदि कार्यरत कर्मचारियों का चिकित्सा अंशदान विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रुप से काटा जाता हो तो उपर्युक्त (ख) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकार्य भुगतान किया जाएगा।

मुख्य लेखा अधिकारी
दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपिः

1. **विशेष कार्याधिकारी, एफएम**
2. **एफए (एच), निदेशक (एलसी), निदेशक (आईए), निदेशक (वित्त), निदेशक (पीआई), निदेशक (कार्य), निदेशक (डब्ल्यू/सी), निदेशक उद्यान (एसई तथा एनडब्ल्यू)।**
3. **सभी उप सीएओ (मुख्यालय) जोन एलसी, उप एफए (एच) I तथा II (मुख्यालय) II**
4. **वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पीई, पीएओ (ईडब्ल्यू), वरिष्ठ लेखा अधिकारी (मेडिकल)-I तथा II/ वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ एंड ई)**
5. **गार्ड फाइल**
6. **डीडीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एक सॉफ्ट कॉपी के साथ निदेशक प्रणाली।**

वरिष्ठ लेखाधिकारी
सलाहकार
चिकित्सा प्रकोष्ठ-II